



दिनांक 28.07.2021

प्रेस विज्ञप्ति 28/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ.प्र. द्वारा किया गया यूपी-112 के मुख्यालय का भ्रमण/निरीक्षण


श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 28.07.2021 को यूपी-112 के मुख्यालय का भ्रमण/निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एडीजी 112 द्वारा यूपी-112 के कार्य प्रणाली, तकनीकी-दक्षता आदि के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण दिया गया।

इस दौरान एडीजी 112 श्री अशोक कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारियों द्वारा डेटा सेन्टर, सवांद कक्ष, सम्प्रेषण कक्ष, इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर, पब्लिक इम्फार्मेशन सेन्टर, आडिटोरियम, विजिटर गैलरी आदि के साथ-साथ वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान यूपी-112 ने किस प्रकार प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के साथ-साथ आमजन को राहत पहुँचाने का कार्य किया गया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा समीक्षा के दौरान यूपी-112 की कार्य प्रणाली में और अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए इसी प्रकार गुणोत्तर सुधार करते रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

यूपी-112 वाहय परिसर भ्रमण के दौरान पुलिस महानिदेशक द्वारा वृक्षारोपण किया गया, इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ. श्री रवि जोसेफ लोक्कू, एडीजी 112 श्री अशोक कुमार सिंह, एसपी प्रशासन श्री बृजेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, श्री हरेन्द्र प्रताप यादव उपस्थित रहे।





जनपद आगरा/थाना ताजगंज

- पुलिस कार्यवाही में 25-25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस
 - 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना ताजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जोनल पार्क के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कृपाराम उर्फ रघु घायल हो गया, जिसे अभियुक्त सत्यपाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कृपाराम उर्फ रघु के विरुद्ध जनपद आगरा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सत्यपाल के विरुद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, आदि के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त कृपाराम उर्फ रघु थाना ताजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 441/2019 धारा 392/411 भादवि एवं अभियुक्त सत्यपाल थाना ताजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1043/2019 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित चल रहे थे। जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कृपाराम उर्फ रघु निवासी बुढ़ाना थाना ताजगंज जनपद आगरा।

2—सत्यपाल निवासी बुढ़ाना थाना ताजगंज जनपद आगरा।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल बिना नम्बर।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना चमनगंज

- 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 28.07.2021 को थाना चमनगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संगीत चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। जिसके विरुद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सीसामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चमनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज निवासी दर्शनपुरवा थाना फजलगंज कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा देहात

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 03 जीवित कारतूस विभिन्न बोर
- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 27.07.2021 की रात्रि थाना खुर्जा देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धराऊ के पास बने भट्टे पर बनी कोठरी से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1-जमीलुद्दीन उर्फ इमरान 2-हसमुद्दीन 3-फिरोज 4-प्रेमसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-जमीलुद्दीन उर्फ इमरान निवासी फराना थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2-हसमुद्दीन निवासी मो0 खीरखानी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 3-फिरोज निवासी मो0 नई आबादी फोरमैन वाली गली कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 4-प्रेमसिंह निवासी मुंडाखेड़ा थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

- 1-15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-03 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।
- 3-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना गाजीपुर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 14 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इन्द्रो नहर पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सुमेर 2—नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुमेर निवासी लोहारनगढ़वा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
- 2—नीरज निवासी लोहारनगढ़वा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 14 मोटर साइकिल।
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना गुन्नौर

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.07.2021 को थाना गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देहगवां थाना जरीफनगर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त महेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गुन्नौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2021 धारा 304 भादवि व 60(1) आबकारी एक्ट, 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व मु0अ0सं0 118/2021 धारा 272 भादवि व 60(2)/72 आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुन्नौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महेश निवासी नाधा थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।

जनपद आजमगढ़/थाना बरदह

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- 101 पेट्टी अवैध शराब
- 04 ड्रम स्प्रिट, ढक्कन, पैकेजिंग मशीन, फिल्टर मशीन, रैपर, क्यूआर कोड स्टीकर
- 02 मोटर साइकिल
- 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना बरदह, आबकारी विभाग व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजागंज बाजार के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—सूरज 2—सियालाल 3—तीर्थराज 4—हितेश 5—राधेश्याम 6—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 101 पेट्टी अवैध शराब, 04 ड्रम स्प्रिट, ढक्कन, पैकेजिंग मशीन, फिल्टर मशीन, रैपर, क्यूआर कोड स्टीकर, 02 मोटर साइकिल, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बरदह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1–सूरज निवासी पियरी बैजू का पुरवा थाना चौवेपुर जनपद वाराणसी।
- 2–सियालाल निवासी विजयीपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
- 3–तीर्थराज निवासी फतुही थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
- 4–हितेश निवासी फतुही थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
- 5–राधेश्याम निवासी कोहरौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
- 6–अभियुक्ता निवासी फतुही थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 1–101 पेटी अवैध शराब।
- 2–04 ड्रम स्प्रिट, ढक्कन, पैकेजिंग मशीन, फिल्टर मशीन, रैपर, क्यूआर कोड स्टीकर।
- 3–02 मोटर साइकिल।
- 4–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना गहमर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 05 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 27.07.2021 को थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कर्मनाशा पुल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–दिलीप 2–मनोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गहमर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—दिलीप निवासी नवली थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर।
- 2—मनोज निवासी संतरामगंज भदौरा थाना गहमर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।
- 2—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

➤ जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना चोलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद वाराणसी ग्रामीण पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष जज पॉक्सो द्वितीय जनपद वाराणसी द्वारा थाना चोलापुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376ए,बी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त करिया को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
